न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 161/2009/223 आर टी ए

1. शंकरलाल पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गिरधारीलाल पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बलवान पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. ओमप्रकाश पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. जयसिंह पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. जिन्द्रपाल पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. सरस्वती बेवा दुन्नीराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. मु0 अन्नु कुमारी पुत्री दुन्नीराम पुत्र हंसराज नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सरस्वती बेवा दुन्नीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. सुरेश पुत्र दुन्नीराम पुत्र हंसराज नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सरस्वती बेवा दुन्नीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. मु0 सदोखी पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. मु0 गुडडी पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. चन्दुराम पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गुगन पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.09 जिसकी रूह से वाद वादी डिक्री किया गया, को अपास्त करने बाबत

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट
श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–18.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 आरटीए का पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घोषणा व दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे

उपस्थित होकर इकबालदावा पेश करवाकर वाद डिक्री करवाया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट कतई अनपढ़ है इन्हे धोखे मे रखकर सफेद कागज पर यह कहकर अंगुठे व हस्ताक्षर करवा लिये कि अपना खाता बहुत बड़ा हो गया है खाता अलग अलग करवा लेते है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे कोई इकबालदावा या जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 चन्दूराम वादी जो हीरा बेवा मामराज का खोलायत पुत्र है। हीरा बेवा मामराज की कुल भूमि मे से चन्दुराम पि.मु.हीरा व चिडिया, किस्तुरी, माडी पुत्रीया हीरा के नाम इंतकाल तस्दीक हुआ है इससे साबित है कि वादी चन्दूराम मु0 हीरा की भूमि मे से हक व हिस्सा मिल गया है इसलिए वह अब बालाराम की भूमि मे से कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही कर सकता है और ना ही उनको अब कोई हक व हिस्सा है। अपीलांट को धोखा मे रखा गया उनको इस बाबत कोई ज्ञान नही था कि दावा इस्तकरार हक का है। अधीनस्थ न्यायालय मे ना तो जवाबदावा पेश कर सके और ना ही मौखिक साक्ष्य व ना ही कोई दस्तावेज पेश कर सके। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय मे खोलानामा पेश किया होता तो कानूनन अधीनस्थ न्यायालय डिक्री पारित नही करता क्योंकि वादी/रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को धोखा मे रखकर निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा रेस्पो./वादी के दावा को स्वीकार करते हुए इकबालदावा प्रस्तुत किया हुआ था जबकि अब अपीलांटस ने अपने कथनो से मुकरते हुए नये तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। दावा मे अपीलांटस द्वारा अपनी सहमति एवं स्वतंत्र इकबालदावा प्रस्तुत किया गया था जिस पर अंगुठा निशानी अंकित की गई है और जिसकी पहचान अधिवक्ता द्वारा की जाकर इकबालदावा तस्दीक किया गया है। अपीलांट कथन की रेस्पो0 चन्दूराम हीरा बेवा मामराज की खोलायत पुत्र है तो उक्त तथ्यं के संबंध मे ना तो कोई खोलानामा न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह साबित हो कि चन्दूराम हीरा बेवा मामराज की खोलायत पुत्र है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इकबालदावा मे वर्णित कथनो से विबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रस्तुत

इकबालदावा के आधार पर वाद डिक्री किया गया है। जो विधिसम्मत है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे (17) 2010 पेज 272 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 के पिता व अपीलांट के दादा बालाराम व उसके केसरा के नाम रोही मौजा मुन्सरी बारानी के नाम खसरा नं. 249 की 18.13 बीघा व खसरा नं. 322 की 80.15 बीघा व खसरा नं. 401 की 15 बीघा कुल 114.08 बीघा भूमि दर्ज थी केसरा की मृत्यु के बाद उसका 1/2 हिस्सा उसकी एक मात्र पुत्री मु0 बाधो उर्फ बाधोडी के नाम दर्ज हो गई तथा बालाराम की मृत्यु के बाद उसकी भूमि 1/2 हिस्सा भूमि उसके तीन पुत्र चन्दू, गुगनराम व हंसराज के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। बाधो ने अपना 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 तथा अपीलांट के पिता हंसराज को तीन अलग अलग बैयनामा के आधार पर बैय कर दी जो संलग्न बैयनामा से साबित है। इस प्रकार रेस्पो0 सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि जो बालाराम व केसराराम के नाम दर्ज थी उसके प्रत्येक 1/3 हिस्सा मानते हुए 1/3 हिस्सा की घोषणा व दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया गया। जिसमे अपीलांट द्वारा उपस्थित आकर दावा को स्वीकार करते हुए इकबालदावा प्रस्तुत किया गया और दावा डिक्री किये जाने मे कोई आपत्ति एतराज जाहिर नही किया गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति मे विधिपूर्वक सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.2009 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 161/2009/223 आर टी ए

1. शंकरलाल पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गिरधारीलाल पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बलवान पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. ओमप्रकाश पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. जयसिंह पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. जिन्द्रपाल पुत्र हंसराज पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. सरस्वती बेवा दुन्नीराम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. मु0 अन्नु कुमारी पुत्री दुन्नीराम पुत्र हंसराज नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सरस्वती बेवा दुन्नीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. सुरेश पुत्र दुन्नीराम पुत्र हंसराज नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सरस्वती बेवा दुन्नीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. मु0 सदोखी पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. मु0 गुडडी पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. चन्दुराम पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गुगन पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.09 जिसकी रूह से वाद वादी डिक्री किया गया, को अपास्त करने बाबत

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट, श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 एवं श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.2009 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 18.01.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ